

बाल विवाह के शून्यीकरण (Annulment) के बारे में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत

शनिवार की एक सुबह, माया, जो कि एक स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) की प्रतिनिधि हैं, पंचायत कार्यालय में किशोरों के लिए एक कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित कर रही हैं।



वाणी: क्या मैं तब भी अपने विवाह का "शून्यीकरण" कराने के लिए अदालत जा सकती हूँ? जबकि मेरा परिवार मेरा समर्थन नहीं कर रहा हो।



माया: हां, वाणी तुम्हें अपने माता-पिता या परिवार के सदस्यों से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 18 वर्ष से कम आयु की हो, तो तुम्हें एक वयस्क अभिभावक या "नेक्स्ट फ्रेंड" जैसे कोई रिश्तेदार, सामाजिक कार्यकर्ता या कोई अन्य वयस्क व्यक्ति चाहिए, जो तुम्हारी देखभाल और खुशहाली की जिम्मेदारी ले और तुम्हारा समर्थन करे। तुम जिला बाल कल्याण समिति से भी मदद ले सकती हो।

शबाना: अगर वाणी अपने बाल विवाह को "शून्य" करना चाहती है, तो क्या पुलिस इसमें शामिल होगी?



माया: बाल विवाह का "शून्यीकरण" सिविल कोर्ट में किया जाता है और पुलिस इसमें शामिल नहीं होती है। लेकिन बाल विवाह का आयोजन करना, एक वयस्क व्यक्ति का किसी बच्चे से विवाह करना, और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ लैंगिक कृत्य करना अपराध है। पुलिस इन अपराधों पर तब कार्रवाई कर सकती है जब इसकी जानकारी दी जाए। वाणी को अपने प्रकरण में और अधिक जानने/समझाने के लिए एक वकील से बात करनी होगी।

अजीत: मैडम, विवाह के "शून्यीकरण" और तलाक में क्या अंतर है?



माया: यह बहुत अच्छा सवाल है! विवाह का "शून्यीकरण" तलाक की तुलना में एक सरल प्रक्रिया है। तलाक के लिए, व्यक्ति को उसी कानून और धर्म के अनुरूप कारण देना होता है, जिसके तहत उसका विवाह हुआ था। उदाहरणाथ, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, तलाक तब ही मांगा जा सकता है जबकि जीवनसाथी कूर हो या उसने किसी और से विवाह कर लिया हो, या वह सात वष से अधिक समय से गायब हो। अदालत में यह सब साबित करना पड़ता है। जबकि "शून्यीकरण" के लिए, तुम्हें केवल यह साबित करना होता है कि जब तुम्हारा विवाह हुआ था, तब तुम नाबालिंग थे, और अभी तुम "शून्यीकरण" की आयु सीमा के भीतर हो।

"शून्यीकरण" याचिका दाखिल करने के लिए किससे मदद ले सकते हैं?

- ① **बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी:** यह एक सरकारी अधिकारी होता है जिसकी जिम्मेदारी बाल विवाह को रोकना और बच्चों को अदालत में "शून्यीकरण" के लिए मदद करना होता है।
- ② **बाल कल्याण समिति:** एक जिला प्राधिकरण है जो बाल विवाह के आसन्न जोखिम वाले या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हिंसा या उपेक्षा के अधीन बच्चे की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास का आदेश दे सकती है, जिसके साथ वे रह रहे हैं।
- ③ **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण:** यह जिला अदालत के पास स्थित एक कार्यालय है जो निःशुल्क कानूनी सलाह और वकील प्रदान करता है।

"शून्यीकरण" के लिए आवश्यक दस्तावेज या साक्ष्य:

- ① विवाह के होने का प्रमाण:
 - विवाह का निमंत्रण पत्र, और संभव हो तो तिथि के साथ
 - विवाह के फोटो
 - विवाह में उपस्थित गवाह जो अदालत में विवाह होने की तिथि बतायेंगे
- ② याचिकाकर्ता की आयु का प्रमाण:
 - स्कूल प्रमाणपत्र या 10वीं कक्षा की मार्कशीट या
 - जन्म प्रमाणपत्र या
 - मेडिकल टेस्ट
 - अन्य कोई आधिकारिक दस्तावेज जिसे अदालत स्वीकार करे



अदालत क्या कर सकती है?

- ① विवाह को शून्य घोषित कर सकती है, जिससे विवाह निरस्त हो जायेगा।
- ② विवाह के समय दिए गए उपहार, पैसे और आभूषण को लौटाने का आदेश दे सकती है।
- ③ पति या उसके माता-पिता को लड़की के पुनर्विवाह तक उसका भरण-पोषण करने का आदेश दे सकती है। यह आमतौर पर लड़की के जीवन की ज़रूरतों के लिए होता है जब तक कि उसका फिर से विवाह न हो जाए।
- ④ यह तय करेगी कि बच्चे की अभिरक्षा कौन करेगा? और उसके माता-पिता या दादा-दादी या अभिभावक को बच्चे के भरण-पोषण का आदेश देगी। इसमें बच्चे का भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा, और चिकित्सा उपचार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संसाधन शामिल होते हैं, जब तक कि बच्चा 18 वर्ष का न हो जाए।
- ⑤ महिला पक्ष के पुनर्विवाह तक उसके निवास का आदेश भी दे सकती है।



अस्वीकरण:

यहाँ प्रस्तुत सामग्री सामान्य जानकारी के लिए है। अधिक जानकारी के लिए कृपया QR कोड स्कैन करें। आपकी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए कानूनी सलाह हेतु, कृपया एक योग्य वकील से परामर्श करें।

